



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

कार्तिक 26, गुरुवार, शाके 1933-नवम्बर 17, 2011
Kartika 26, Thursday, Saka 1933-November 17, 2011

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

मंत्रिमण्डल सचिवालय

विज्ञप्ति

जयपुर, नवम्बर 17, 2011

सख्या प.11(15)मंमं/2008:-शासन कार्य नियमावली के नियम-5 के अनुसरण में इस सचिवालय समसख्यक विज्ञप्ति दिनांक 21 दिसम्बर, 2008, 2 मार्च, 2009, 15 दिसम्बर 2009 एवं 16 अक्टूबर 2011 के क्रम में राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने, मुख्यमंत्री के परामर्श से, प्रत्येक मंत्री को उनके नाम के नीचे आंकित विभागों का कार्यभार सौंपा है:-

मंत्रीगण

1. श्री जशोव्रत गहलोत, मुख्यमंत्री
 1. वित्त एवं करारोपण
 2. आयोजना
 3. नीति निर्धारण
 4. कार्मिक
 5. प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय
 6. मंत्रिमण्डल सचिवालय
 7. राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो
 8. सामान्य प्रशासन
 9. नागरिक उड्डयन
 10. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार
 11. गृह एवं न्याय
2. श्री एम.दुदीन अहमद खां (दुरू), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री
 1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
 2. परिवार कल्याण
 3. आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा
 4. चिकित्सा शिक्षा
3. श्री भरत सिंह, सार्वजनिक निर्माण मंत्री
 1. सार्वजनिक निर्माण
4. श्रीमती बीना काक, पर्यटन मंत्री
 1. पर्यटन
 2. कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व
 3. मुद्रण एवं लेखन सामग्री
 4. वन
 5. पर्यावरण
 6. महिला एवं बाल विकास (अतिरिक्त प्रभार)

5. श्री बृज किशोर शर्मा, शिक्षा मंत्री
 1. प्राथमिक शिक्षा
 2. माध्यमिक शिक्षा
 3. संस्कृत शिक्षा
 4. भाषा एवं भाषायी अल्पसंख्यक
 5. देवस्थान (अतिरिक्त प्रभार)
6. श्री हरजीराम बुरडक, कृषि मंत्री
 1. कृषि
 2. पशुपालन
 3. मत्स्य
7. श्री हेमाराम चौधरी, राजस्व मंत्री
 1. राजस्व
 2. उपनिवेशन
 3. जल संसाधन
8. श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय, जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री
 1. जनजाति क्षेत्रीय विकास
 2. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज (अतिरिक्त प्रभार)
9. श्री परसादी लाल भीणा, सहकारिता मंत्री
 1. सहकारिता
 2. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (अतिरिक्त प्रभार)
10. श्री शांति कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री
 1. नगरीय विकास एवं आवासन
 2. स्वायत्त शासन
 3. विधि एवं विधिक कार्य
 4. संसदीय मामलात
 5. निर्वाचन
11. डॉ. जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री
 1. ऊर्जा एवं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत
 2. जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी
 3. भू-जल
 4. सूचना एवं जन सम्पर्क
12. श्री राजेन्द्र पारीक, उद्योग मंत्री
 1. उद्योग
 2. अप्रवासी भारतीय
 3. राजकीय उपक्रम
 4. आर्थिक एवं सांख्यिकी
 5. आबकारी
 6. खान (अतिरिक्त प्रभार)
13. श्री अशोक बैरवा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री
 1. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

राज्यमंत्रिगण

1. श्री बाबूलाल नागर, खादी एवं प्रानोधोग राज्यमंत्रा

1. खादी एवं ग्रामोद्योग (स्वतंत्र प्रभार)
2. इयरो (स्वतंत्र प्रभार)

2. श्री रामकिशोर सैनी, कारागार राज्यमंत्रा

1. कारागार (स्वतंत्र प्रभार)
2. जन प्रभियोग, निराकरण (स्वतंत्र प्रभार)
3. तृणमाकी एवं आमपात्रको शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार)
4. दवास्थान

3. श्री गुरमोत सिंह कुन्वर, कृषि विपणन राज्यमंत्रा

1. कृषि विपणन (स्वतंत्र प्रभार)
2. जल सहायन

4. श्री मांगीलाल गरासिया, श्रम एवं नियोजन राज्यमंत्रा

1. श्रम एवं नियोजन (स्वतंत्र प्रभार)
2. युवा न्ययन एवं खेल (स्वतंत्र प्रभार)
3. कक्षागत एवं प्रायतरा निरीक्षण (स्वतंत्र प्रभार)

5. श्री राजकुमार शर्मा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्यमंत्रा

1. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (स्वतंत्र प्रभार)
2. आनरता एवं स्वास्थ्य
3. पारवार कल्याण
4. आधुनिक
5. विनिर्मुक्ता शिक्षा

6. श्री राजेन्द्र सिंह गुडा, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा राज्यमंत्रा

1. गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा (स्वतंत्र प्रभार)
2. जायाजाना (जन शक्ति) (स्वतंत्र प्रभार)
3. राजकाय उपक्रम
4. आर्थिक एवं सांख्यिकी

7. श्री मुरारीलाल मीणा, तकनीकी शिक्षा (कृषि) राज्यमंत्रा

1. तकनीकी शिक्षा (कृषि) (स्वतंत्र प्रभार)
2. लोडर गैरजा (स्वतंत्र प्रभार)
3. संसाधन (स्वतंत्र प्रभार)
4. राज्य योजना एवं ई.एस.आई. (स्वतंत्र प्रभार)
5. मावजापत्र विनिर्णय

8. श्री कृष्ण सिंह आरक्षण इन्दिरा गांधी नहर परियोजना राज्यमंत्रा

1. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (स्वतंत्र प्रभार)
2. मिथिल श्रमोन्नति विकास (स्वतंत्र प्रभार)
3. शैक्षणिक प्रमाण (स्वतंत्र प्रभार)
4. आपदा निवारण एवं सहायता (स्वतंत्र प्रभार)

9. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, यातायात राज्यमंत्री

1. यातायात (स्वतंत्र प्रभार)
2. गृह

10. श्री अभीन खां, अल्पसंख्यक मामलात राज्यमंत्री

1. अल्पसंख्यक मामलात (स्वतंत्र प्रभार)
2. वक्फ (स्वतंत्र प्रभार)

11. श्री दयाराम परमार, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री

1. उच्च शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार)

12. श्रीमती मन्जू देवी, महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री

1. महिला एवं बाल विकास

13. श्रीमती नसीम अख्तर इन्साफ, शिक्षा राज्यमंत्री

1. प्राथमिक शिक्षा
2. माध्यमिक शिक्षा
3. भाषा एवं भाषायी अल्पसंख्यक

14. श्री विनोद कुमार लीलावती, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्यमंत्री

1. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
2. कृषि
3. पशुपालन
4. मत्स्य

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य अवितरित विभागों का कार्य मुख्यमंत्री स्वयं देखेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

राज्यपाल के आदेश से,
आर.पी. जैन,
प्रमुख शासन सचिव।

विज्ञप्ति

इस सचिवालय द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेशों के अतिक्रमण में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निम्नांकित संसदीय सचिवगण को उनके नाम के सम्मुख अंकित मंत्रिगण के साथ संबद्ध किया है:-

क्र.सं.	संसदीय सचिव	मंत्री
1.	श्री ब्रह्मदेव कुमावत	श्री हरजीराम बुरडक
2.	श्री दिलीप चौधरी	श्री भरत सिंह
3.	श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत (जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग)	डॉ. जितेन्द्र सिंह
4.	श्री गिर्राज सिंह मलिंगा	श्री परसादी लाल मीणा
5.	श्री जयदीप डूडी	श्री हेमाराम चौधरी
6.	श्री कन्हैयालाल झंवर	श्री राजेन्द्र पारीक
7.	श्रीमती ममता भूपेश	श्री एमादुद्दीन अहमद खां (दुरू)
8.	श्री नानालाल निनामा (ऊर्जा विभाग)	डॉ. जितेन्द्र सिंह
9.	श्री राजेन्द्र सिंह विधूड़ी	श्रीमती बीना काक
10.	श्री रमेश मीणा	श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय
11.	श्री रामस्वरूप सिंह कसाना	श्री अशोक बैरवा
12.	श्री रामकेश मीणा	श्री शांति कुमार धारीवाल
13.	श्रीमती जाहिदा खान	श्री बृजकिशोर शर्मा

राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ. आर.पी.0 जेन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज्यपाल, राजस्थान ।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान ।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान ।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव ।
6. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग ।
7. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान ।
8. समस्त संभागीय आयुक्त/ जिला कलेक्टर ।
9. समस्त विभागाध्यक्ष ।
10. विशेषाधिकारी, मुख्यमंत्री ।
11. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव ।
12. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, जयपुर ।
13. निदेशक, राजकॉम्प, योजना भवन, जयपुर को जीएडी एण्ड कैबिनेट की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु ।
14. पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर ।
15. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय ।
16. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को दिनांक 12.12.2011 के विशेषांक में प्रकाशनार्थ । विशेषांक की 50 प्रतियाँ शीघ्र भिजवाई जावे ।
17. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को अलग से प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. निबंधक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
4. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।

सहायक शासन सचिव